भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †3064
07 अगस्त, 2025 को उत्तर देने के लिए

ऋणबद्ध राजसहायता के माध्यम से लाभ

†3064. श्री कृपानाथ मल्लाह:
श्री तापिर गाव:
डॉ. विनोद कुमार बिंद:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऋणबद्ध राजसहायता के माध्यम से लाभ प्राप्त करने हेतु लक्षित उद्यमों की संख्या कितनी है; और

(ख) वर्ष 2024-25 के दौरान और जून 2025 तक प्रस्तुत आवेदनों, स्वीकृत ऋणों और वितरित ऋणों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): वर्ष 2020-21 से 2025-26 की अवधि के दौरान 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन(पीएमएफएमई) योजना" के अंतर्गत दो लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ख): वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 30 जून 2025 तक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के तहत प्रस्तुत आवेदनों की संख्या, स्वीकृत ऋण और संवितरित ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25 (30 जून 2025 तक)
प्रस्तुत आवेदन	1,46,197
ऋण स्वीकृत	58,213
ऋण संवितरित	51,851

*****